



प्रेषक,

जय प्रकाश,

उपसचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,

उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 2019

विषय:- उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होलिडिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होलिडिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 6,22,73,000.00 (₹0 छः करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार मात्र) का ऋण दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :-

- 1 उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर के होलिडिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा चार समान किशतों में आहरित कर उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी। बजट व्यवस्था ₹0 6,22,73,000.00 (₹0 छः करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की ₹0 1,55,68,250.00 (₹0 एक करोड़ पचपन लाख अड़सठ हजार दो सौ पचास मात्र) की चार त्रैमासिक किशतें बनेंगी, जिनमें से अप्रैल-जून का आहरण तत्काल तथा शेष तीन किशतों का आहरण क्रमशः माह जुलाई 2019, अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020 के पूर्व नहीं किया जायेगा।
- 2 उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात् इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वित्त न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5(पांच) समान वार्षिक किशतों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किशत प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किशतें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिदान/भुगतान करने में वित्त होने पर निर्धारित 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

- 3 उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
 - 4 स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
 - 5 कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व निर्गत किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिया जाए, तभी अगली किश्त का आहरण राजकोष से किया जाएगा।
 - 6 कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
 - 7 स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2020 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को भेजी जाए।
 - 8 उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगे।
 - 9 उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :-
 (क)- कोषागार का नाम।
 (ख)- चालान संख्या व दिनांक।
 (ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
 (घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
 (च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
 (छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ।
 - 10 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- “6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूँजी लेखा- 01-वस्त्रोद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-06-उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ को कर्ज-30-निवेश/ऋण” के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-6-342(4)/दस-19, दिनांक 24-04-19 के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जय प्रकाश)

उपसचिव।

संख्या- 6/2019/724(1)/77-1-2019-03(बजट)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर।
- 3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- 5- वित्त अधिकारी, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर।
- 6- सचिव/महाप्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर।
- 7- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन।
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश)

उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।